18/1/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन मरतबा आवाज पुकारवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़